बनाम : लिघु राम आदि

अनवान : बादामी म.स. 3/14 धारा- अपील इन्तकाल

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम आदेश में जाने
14/5/2018	आज यह पत्रावली NALDA-2018 कैम्प कोर्ट 56F मे मेरे हुई अपीलान्ट बिदामी देवी उपस्थित आयी एंव रेस्पोडन्ट भागीरथ, लक्ष्मण राम, शान्ति, मनोहरी देवी उपस्थित आये दोनो पक्षो की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत 56 F के द्वारा की गई दोनो पक्षो के द्वारा निवेदन किया की इन्तकाल स. 55 दिनांक २२.१२.78 चक 55F जो ग्राम पंचायत 56 F के द्वारा तस्दीक किया गया है वह अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार श्री करणपुर को रिमान्ड किया जाता है तो उन्हे कोई एतराज नही है दोनो पक्ष इस पर सहमत है इस सम्बन्ध मे कैम्प मे उपस्थित दोनो पक्षो को सुना गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया दोनो पक्ष इन्तकाल स. 55 दिनांक २२.१२.78 गाव 55F को अपास्त करवाने पर सहमत है अत: दोनो पक्षो के मौखिक निवेदन को स्वीकार किया जाकर चक 55F के इन्तकाल सं. 55 दिनांक २२.१२.78 जो चक 55F के मु.न. 41 के २५½ बीघा के सम्बन्ध मे दर्ज किया गया है को अपास्त किया जाने के आदेश दिए जाते है एंव प्रकरण तहसीलदार श्री करणपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह दोनो पक्षो को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्री करणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।	

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत 2018 कैम्प कोर्ट 56 F मे मजमआम मे सुनाया गया।

संदीप कुमार (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मदनलाल
सरपंच
ग्राम पंचायत 56 एफ
पंचायत समिति श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner